न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 20 / 2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022 / 162)

1. महीलाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री आनन्दा, जाति हैवासी ब्राहमण, निवासी सामोली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
2. मदन शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री आनन्दा, जाति हैवासी ब्राहमण, निवासी सामोली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
3. पप्पूराम शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री आनन्दा, जाति हैवासी ब्राहमण, निवासी सामोली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
4. रामदयाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री आनन्दा, जाति हैवासी ब्राहमण, निवासी सामोली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
5. मनोज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री आनन्दा, जाति हैवासी ब्राहमण, निवासी सामोली, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर, राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, अलवर दिनांक 23.03.2022 जिसके द्वारा मिन अपीलान्ट की अपील संख्या 11 / 04 / 2017 खारिज की गयी

उपस्थित–
1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 30.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 23.03.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 07.09.1993 नामान्तरकरण संख्या 210 वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर से व्यथित होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2022 द्वारा अपील खारिज कर दी गयी।

3. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 23.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्टस महीलाल शर्मा पुत्र स्व0 आनन्दा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर दिनांक 23.03.2022 निरस्त किये जाने तथा इन्तकाल संख्या 210 निर्णय दिनांक 07.09.1993 अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर, अलवर को दुरूस्त किया कराया जाकर आन्नदा पुत्र शिवनारायण अपीलान्टान के नाम खातेदार काबिज कृषक की हैसियत से नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार कराये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, 487 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नं0 479 रकबा 0.78 है0 487 रकबा 0.66 है0 बनाये गये। वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर की यह आराजी अपीलान्टस शिवनारायण पुत्र लालाराम की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, लेकिन बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को गलत व बेजा तौर पर कस्टोडियन सरकार दर्ज कर दिया। जिस कारण अपीलान्टस के पिता आनन्दा पुत्र शिवनारायण ने उक्त आराजी का अंकन दुरूस्त कराने हेतु तथा अपने आपको खातेदार काबिज काश्तकार घोषित कराने के लिए राजस्व वाद संख्या 1/27/1989 बअनुवान आनन्दा बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ मु0 कठूमर के यहां पेश किया जो दिनांक 11.01.1993 को अपीलान्टस के पिता आनन्दा के हक में निर्णित किया गया। जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में की गई जो अपील भी दिनांक 20.07.1993 को खारिज कर दी गई। इसके उपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 192/93 प्रस्तुत की गई जो अपील भी दिनांक 23.05.1997 को खारिज कर दी गई। लेकिन सहायक कलक्टर राजगढ मुकाम कठूमर के निर्णय दिनांक 11.01.1993 की पालना में जो इन्तकाल संख्या 210 दिनांक 07.09.1993 को अपीलान्ट के पिता आनन्दा के नाम नामान्तकरण तो सही दर्ज कर दिया लेकिन उनके नाम के आगे खातेदार काबिज कृषक का अंकन होने से सहवन से रह गया। जिस अंकन को दुरूस्त कराने हेतु मिन अपीलान्ट ने एक अपील माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो अपील दिनांक 23.03.2022 को मिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारिज कर दी गई। अपीलान्टान के पिता का स्वर्गवास हो चुका है और अपीलान्टान मृतक आनन्दा के वारिस है इसलिए उक्त आराजी के मिन अपीलान्टान खातेदार काश्तकार काबिज कृषक हो गए है। और मिन अपीलान्टान के पिता के स्थान पर मिन अपीलान्टान को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार काबिज दर्ज कराने का पूर्ण हक व अधिकार है। मिन अपीलान्टान द्वारा सन 2017 में क्रेडिट कार्ड के लिए नकल जमाबन्दी आदि की आवश्यकता पडने पर मिन अपीलान्टान दिनांक 27.01.2017 को पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि जमीन तुम्हारे पिता के नाम जरूर दर्ज है, लेकिन उनके नाम खातेदार कृषक का अंकन नहीं है, जिस पर उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की जाकर कानूनी सलाह लेकर अपील न्यायालय को बिना देरी के पेश की है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह गलत इन्तकाल दर्ज होने की जानकारी नहीं होने के कारण हुई है जो कि नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मयाद में मुजरा दिए जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश किया गया है। विद्वान तहत न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता है कि मिन अपीलान्ट को इन्तकाल संख्या 210 के इन्द्राज की पूर्व में जानकारी थी। इसके बावजूद भी विद्वान तहत न्यायालय ने मिन अपीलान्टान की अपील को खारिज करने में अहम काननी गलती की है। विद्वान तहत न्यायालय को अपील का निर्णय करते वक्त अपील की मैरिट को भी देखना चाहिए था लेकिन विद्वान तहत न्यायालय ने अपील की मैरिट को नजरअंन्दाज करते हुए केवल दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज करने मे अहम कानूनी गलती की है। माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की अनेकोनेक नजीरों में यह प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार की जानी चाहिए। साथ ही अपील का मैरिट पर भी विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए। अतः अपील पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर दिनांक 23.03.2022 निरस्त किये जाने तथा इन्तकाल संख्या 210 निर्णय दिनांक 07.09.1993 अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर, अलवर को दुरूस्त किया कराया जाकर आन्नदा पुत्र शिवनारायण अपीलान्टान के नाम खातेदार काबिज

अतिरिक्त आयुक्त

कृषक की हैसियत से नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

6. रेस्पोडेन्ट्स नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, साथ ही आराजी कस्टोडियन की है। अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। उभयपक्षों की बहस से जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.1993 नामान्तरकरण अपील संख्या 210 वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर के विरूद्ध दिनांक 14.02.2017 को अपील पेश की है, जो करीब 23 वर्ष 5 माह बाद पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने हेतु दिन प्रतिदिन का विवरण देना होता है, अपीलान्ट द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/27/1989 बअनुवान आनन्दा बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ मु0 कठूमर के यहॉ अपीलान्ट के पिता द्वारा पेश किया गया था, जो दिनांक 11.01.1993 को वादी के पक्ष में निर्णित किया गया पारित निर्णय के विरूद्ध तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 20.07.1993 को सरकार की तरफ से प्रस्तुत अपील खारिज की गयी इसके उपरान्त दिनांक 23.05.1997 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय को यथावत रखा गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्ट को पारित निर्णय की जानकारी नहीं रही है। समयावधि संबंधी प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है तथा उनकी पालना किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील 23 वर्ष 5 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है । समयावधि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में अभिमत व्यक्त किया है कि यदि विलम्ब के संबंध में कारण संतोषजनक पाये जावे तो ही विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जावे और यदि विलम्ब के कारण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में प्रकरण को मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किया जाना चाहिये । अपीलान्ट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कारण भी उल्लेखित नहीं किया है। जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गयी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर